भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1146
उत्तर देने की तारीख-29/07/2024

बहुभाषी शिक्षा

†1146. श्री वी. के. श्रीकंदन:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने अपने सभी संबद्ध विद्यालयों को ऐसी शैक्षणिक सामग्री का उपयोग करने का निर्देश दिया है जो मातृभाषा में अध्ययन पर ध्यान केन्द्रित करे और बहुभाषी शिक्षा को प्रोत्साहित करे;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) और भारतीय भाषा संस्थान ने देश भर में बोली जाने वाली विभिन्न मातृभाषाओं और स्थानीय भाषाओं के अनुरूप 52 प्रवेश-स्तर की प्रवेशिकाओं की श्रृंखला तैयार करने के लिए आपसी सहयोग किया है; और
(घ) क्या यह सच है कि विद्यालयों को अपनी मूल भाषा में मजबूत भाषा कौशल विकसित करने के लिए शिक्षकों और छात्रों के बीच इन प्रवेशिकाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): जी हाँ, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने अपने सभी संबद्ध स्कूलों को मौजूदा विकल्पों के साथ-साथ संविधान की अनुसूची 8 में सूचीबद्ध भारतीय भाषाओं को शिक्षण के वैकल्पिक माध्यम के रूप में अपनाने पर विचार करने हेतु दिनांक 21.07.2023 को एक परिपत्र जारी किया था। यह बहुभाषी दृष्टिकोण मूलभूत चरण (पूर्व-प्राथमिक कक्षाएं) से लेकर माध्यमिक चरण तक (कक्षा 12 तक) विस्तारित है। इसमें सिफारिश की गयी थी कि स्कूल उपलब्ध संसाधनों का लाभ उठाएं, क्षेत्र विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त करें, तथा प्रभावी कार्यप्रणाली को साझा करने हेतु अन्य संस्थानों के साथ सहयोग को बढ़ावा दें।

(ग) और (घ): जी हाँ, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) और केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल), मैसूर ने संयुक्त रूप से 54 प्राइमर विकसित

किए हैं और इन्हें मार्च, 2024 में जारी किया गया था। सीबीएसई ने अपने संबद्ध स्कूलों को एनसीईआरटी और सीआईआईएल द्वारा विकसित मातृभाषाओं, स्थानीय भाषाओं और घरेलू भाषाओं के लिए प्रवेश-स्तरीय प्राइमरों की उपलब्धता के संबंध में दिनांक 07.05.2024 को एक परिपत्र भी जारी किया है। परिपत्र में स्कूलों को उनकी मूल भाषाओं में छात्रों के भाषा कौशल विकसित करने के लिए उपकरण के रूप में इन प्राइमरों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया गया है।

*****